सं0–881/XXV।।। (3)–2004–31/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर,, 2004

विषयः सामु0 स्वा0 केन्द्र रामगढ जनपद नैनीताल के भवन निमार्ण के संबंध मे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/सी.एस.सी./64/3003/1710 दिनांक 19.1.2004 के संदर्भ मे तथा शासनादेश सं0–87/चि0–3–2004दिनांक 31.3.2004 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 मे सामु0स्वा0के0 रामगढ जनपद नैनीताल के भवन निर्माण हेतु रू0 78.50,000=00 के आगणन के विपरित टी.ए.सी.द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत 75.323.000–00(रू0 पिचहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष मे रू0 20,00,000=00 (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी.एम.15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्यावर्तक व्यय की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विषिश्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय,प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निगंत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण, विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निद्रेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस धनराशि का उपयोग के उपरान्त ही आगाामी किस्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी।

12– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

13– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

14– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

15– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

16–समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध मे रिर्पोट प्रस्तुत किया जाय।

17–पूर्व से स्थापित भवन तथा प्रस्तावित नये कार्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सामु0स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण हेतु नक्शा प्रस्तुत किया जायेगा।

18–कार्य को कार्य को इसी लागत मे पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसकी लागत मे कोई पुनरीक्षण अनुमन्य होगां

19– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवाये 104– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–03सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 911/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 4.12.2004 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अर्जुन सिहं)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल ।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0उत्तरांचल।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0-881/XXVIII(3)-2004-31/2004 दिनांक 4.12.2004 का संलग्नक ।

(वित्तीय वर्ष 2004-05

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अनुदान सं0-12 उत्तरांचल, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्ल) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 03 चिकित्सा -शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- एलोपैथी 05- रूद्रपुर मे मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण-00- 24-बृहत निर्माण कार्य 35000	—	--	35000 (क)	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01शहरी स्वास्थ्य सेवायें 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण,02सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण (विस्तार अंश) 24-बृहत निर्माण कार्य 2000 (ख)	1,40,00	33000	(क)रूद्रपुर मे मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण योजना मे आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। (ख) सामु0स्वा0के0 के भवन निमार्ण हेतु गत वित्तीय वर्ष मे सैद्धान्तिक सहमति दी गयी थी जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय मे धनराशि स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
योग- 35000	—		35000	2000	1,40,00	33000	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

NIC
822

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या 911(A) वित्त अनु0-2/2004
देहरादून: दिनांक: 4.12. 2004

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

मोहन लाल टम्टा
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून ।

संख्या-881/**XXVIII(3)**-2004-31/2004 दिनांक 4.12.2004 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
2. वित्त अनुभाग-2
3. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन

BM_15

041204001.Pdf